PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

04/11/2024 से 10/11/2024 तक

THE HINDU

The Indian EXPRESS

PIB
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. साझा भविष्य की ओर : नई दिल्ली में भारत-जर्मन 7वां अंतर सरकारी परामर्श (IGC) का आयोजन.....1

2. सर्वोच्च न्यायालय : खराब चिकित्सीय परिणामों के लिए डॉक्टरों को लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता.....4

3. विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना का प्रथम चरण.....7

4. सात निश्चय योजना द्वितीय चरण / पार्ट – 2.....9

5. एशिया – प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024.....13

6. भारतीय उच्च शिक्षा में समावेशी विकास के एक मॉडल के रूप में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना.....16

PLUTUS IAS

साझा भविष्य की ओर : नई दिल्ली में भारत-जर्मन 7वां अंतर सरकारी परामर्श (IGC) का आयोजन

खबरों में क्यों ?

- हाल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (IGC) की सह-अध्यक्षता की है।
- इस सम्मेलन का आदर्श वाक्य – **"नवाचार, गतिशीलता और स्थिरता के साथ एक साथ बढ़ना"** था।
- जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ 24-26 अक्टूबर तक भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर थे, जो उनकी 2021 में चांसलर बनने के बाद तीसरी यात्रा है।
- उन्होंने इससे पहले भी फरवरी 2023 में भारत का दौरा किया था और सितंबर 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन/ बैठक में भाग लिया था।
- भारत और जर्मनी के संबंध अब आर्थिक रूप से परिवर्तित होकर रणनीतिक रूप में बदल रहे हैं।
- जर्मनी ने हाल ही में **"फोकस ऑन इंडिया"** की नीति अपनाई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना चाहता है।

भारत और जर्मनी के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श (IGC) की पृष्ठभूमि :

- भारत और जर्मनी के बीच अंतर सरकारी परामर्श 2011 में स्थापित किया गया था।
- इस प्रक्रिया के अंतर्गत, दोनों देशों के मंत्री अपने – अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और आपसी चर्चा से उत्पन्न परिणामों को अपने – अपने देश के नेताओं, चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
- हाल ही में संपन्न हुए 7वीं IGC बैठक के समापन पर दोनों देशों के नेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया।
- इसके तहत प्रौद्योगिकी, श्रम, प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, और आर्थिक-सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में बढ़ते संबंधों पर चर्चा हुई।

भारत और जर्मनी के बीच 7वें अंतर सरकारी परामर्श के प्रमुख परिणाम :

1. **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर देना :** दोनों देशों के नेताओं ने समकालीन चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
2. **दोनों देशों के संप्रभुता का आपस में सम्मान करना :** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करने पर जोर दिया गया, जिसमें दोनों देशों के संप्रभुता का आपस में सम्मान करना शामिल है।
3. **क्षेत्रीय परामर्श की स्थापना करना :** पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय परामर्श की स्थापना की गई।
4. **स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता पर बल देना :** इस सम्मेलन के दौरान स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए आपसी प्रतिबद्धता को दोनों देशों द्वारा व्यक्त किया गया।
5. **भारत और जर्मनी द्वारा प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौता (एमएमपीए) पर हस्ताक्षर किया जाना :** इस सम्मेलन में प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौता (एमएमपीए) पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिससे यह समझौता लोगों के लिए गतिशीलता और रोजगार के अवसरों में सुधार

लाने, अनियमित प्रवासन और मानव तस्करी की समस्याओं को समाधान करने में मदद करेगा।

18वां एशिया-प्रशांत सम्मेलन :

- एशिया-प्रशांत सम्मेलन हर दो साल के बाद एशिया – प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाता है।
- जर्मन बिजनेस का एशिया-प्रशांत सम्मेलन एक प्रमुख कार्यक्रम है जो जर्मनी और एशिया-प्रशांत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के अवसर तलाशने के लिए जर्मन व्यापारिक नेताओं, अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर लाता है।
- जर्मन बिजनेस का 18वां एशिया-प्रशांत सम्मेलन 24-26 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने संयुक्त रूप से किया था।

जर्मनी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य :

राजधानी : बर्लिन।

मुद्रा : यूरो।

सदस्य : यूरोपीय संघ, नाटो।

वर्तमान राष्ट्रपति : फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर।

वर्तमान चांसलर : ओलाफ स्कोल्ज़।

जर्मन चांसलर की भारत यात्रा की मुख्य बातें :

वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता :

1. **रूस-यूक्रेन संघर्ष :** प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की शांति स्थापना की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जबकि चांसलर स्कोल्ज़ ने भारत से राजनीतिक समाधान का समर्थन करने की अपील की।

2. **इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष और पश्चिम एशिया में बढ़ रहे आपसी तनाव को कम करने पर जोर देना :** भारत और जर्मनी दोनों देशों के नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ रहे आपसी तनाव को कम करने और इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए दो-राज्य समाधान की आवश्यकता का समर्थन किया।

3. **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था और समुद्री स्वतंत्रता एवं सुरक्षा पर बल देना :** मोदी और स्कोल्ज़ दोनों ही नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था और समुद्री स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के महत्व पर बल दिया।

4. **एक व्यापक और विस्तारित साझेदारी के दृष्टिकोण की ओर बदलाव पर जोर देना :** स्कोल्ज़ और मोदी ने **"संपूर्ण सरकार"** से **"संपूर्ण राष्ट्र"** के दृष्टिकोण की ओर बदलाव पर जोर दिया गया। जो आपस में दोनों देशों के लिए एक व्यापक और विस्तारित साझेदारी एवं गहन सहयोग का प्रतीक है।

प्रमुख घोषणाएं और समझौते :

1. **वीज़ा की संख्याओं में विस्तार करना :** जर्मनी ने कुशल भारतीय कामगारों के लिए वार्षिक वीज़ा संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने की घोषणा की है।

2. **भारत के कार्यबल में निवेश और रणनीतिक सहयोग पर जोर देना :** जर्मनी ने भारत के कार्यबल में निवेश और रणनीतिक सहयोग पर जोर दिया।

3. **वैश्विक भू-राजनीतिक बदलावों के तहत चीन पर निर्भरता को कम करना :** वैश्विक भू-राजनीतिक बदलावों के कारण जर्मनी के चांसलर स्कोल्ज़ ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में चीन पर **"एकतरफा निर्भरता"** से बचने पर जोर दिया। दोनों देशों के नेताओं ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए भारत को एक प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।

4. **भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाना :** प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को व्यापार और विनिर्माण के उभरते केंद्र के रूप में प्रचारित किया तथा जर्मन कंपनियों को **" भारत में निर्माण, विश्व के लिए निर्माण "** के लिए प्रोत्साहित किया।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र :

1. **हरित हाइड्रोजन रोडमैप के तहत स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास पर समझौता :** स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के लिए दोनों ही देशों द्वारा हरित हाइड्रोजन रोडमैप पर समझौता किया गया।

2. **उन्नत सामग्रियों पर संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) में सहयोग को बढ़ावा देना :** भारत और जर्मनी दोनों ही देशों द्वारा उन्नत सामग्रियों पर अनुसंधान एवं विकास में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

3. **रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर करना :** दोनों देशों ने वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान पर समझौता किया और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए।

4. **वर्गीकृत सूचना का आपस में आदान-प्रदान करना :** भारत और जर्मनी के बीच हुए 7वें अंतर सरकारी परामर्श सम्मेलन में इस विषय पर एक कानूनी ढांचें के निर्माण से संबंधित समझौता संपन्न हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

भारत – जर्मनी द्विपक्षीय संबंधों में मुख्य चुनौतियाँ :

1. **साझेदारी में कमी होना :** भारत और जर्मनी 2000 से सामरिक साझेदार हैं, लेकिन उनके संबंध अपेक्षाकृत कमजोर हैं, यह अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंची है। भारत-फ्रांस के मुकाबले भारत – जर्मनी सहयोग और साझेदारी कम है।

2. **स्वतंत्र द्विपक्षीय निवेश संधि और आर्थिक सहयोग का अभाव होना :** स्वतंत्र द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) का अभाव निवेशकों के विश्वास को कम करता है और आर्थिक सहयोग में बाधाएँ डालता है, जिससे जर्मनी को यूरोपीय संघ के BTIA पर निर्भर रहना पड़ता है।

3. **लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति चिंतित होना :** जर्मनी की भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर टिप्पणियाँ, जैसे राजनीतिक गिरफ्तारियों के संदर्भ में नई दिल्ली में नाराजगी पैदा करती हैं। जिससे दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में कमी आती है और आपसी संबंधों में कटुता पैदा करती है।

4. **यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रति मतभेद होना :** यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा में भारत की अनिच्छा से जर्मनी में निराशा बढ़ी है, जो दोनों देशों के आपसी द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रही है।

5. **सीमित रक्षा सहयोग का होना :** जर्मनी का भारत के प्रति रक्षा सहयोग में अनिच्छा भारत के साथ गहन सहयोग में बाधा बनती है। फलतः भारत और जर्मनी का आपसी द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होता है।

6. **सार्वजनिक जागरूकता में कमी होना :** जर्मनी में चीन के प्रति अधिक रुचि है, जो उसके मीडिया कवरेज और फंडिंग में भी दिखता है। जिसके कारण भारत और जर्मनी का आपसी द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होता है।

7. **भारत के प्रति नकारात्मक भाषा और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का होना :** ग्लोबल दक्षिण के संदर्भ में नकारात्मक भाषा भारत की स्थिति और योगदान को कमतर करके आंकती है, जिससे आपसी सम्मान और सहयोग प्रभावित हो सकता है। अतः भारत के प्रति नकारात्मक भाषा, सहयोग और सम्मान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधो को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह :

1. **वैश्विक शक्तियों के रूप में आपसी सहयोग के माध्यम से अपनी भूमिका को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक :** स्वास्थ्य, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर कार्य करना और जिम्मेदार वैश्विक शक्तियों के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

2. **लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देना :** सतत राजनीतिक संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित उच्च-स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जाए। ट्रैक 1.5 संवाद का विस्तार करके इसमें व्यापारिक प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के सदस्यों को शामिल किया जाए।

3. **रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना :** भारत और जर्मनी दोनों को ही सह-उत्पादन समझौतों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से रक्षा सहयोग के लिए एक संरचित ढाँचा विकसित करना चाहिए।

4. **भारत और जर्मनी दोनों को ही आपसी संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी :** जर्मनी को बाहरी आलोचना से उत्पन्न टकरावों को रोकने के लिए भारत के आंतरिक मामलों में उसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। जर्मनी को चाहिए कि वह इन चर्चाओं में अधिक सहयोगात्मक रुख अपनाए और भारत के संदर्भ को समझते हुए उसकी चिंताओं का समाधान करे।

निष्कर्ष :

- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ की आपसी बैठक और उसके बाद हुए समझौतों ने भारत-जर्मनी द्विपक्षीय संबंधों में एक नए युग का आगाज़ किया है। इससे उन्नत व्यापार और रक्षा सहयोग से लेकर स्वच्छ ऊर्जा में साझा लक्ष्यों तक, दोनों देशों ने आपसी विकास और वैश्विक प्रभाव के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया है, जिससे विश्व मंच पर उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। परिणामस्वरूप भारत और जर्मनी का आपसी द्विपक्षीय संबंधों ने एक नए युग का आगाज किया है जिसे बचाकर रखना भारत और जर्मनी दोनों के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. कभी-कभी समाचारों में दिखने वाला 'व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (बीटीआईए)' भारत और किसके बीच हुई वार्ता के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? (UPSC – 2017)

A. ब्रिक्स के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में।

B. खाड़ी सहयोग परिषद के संदर्भ में।

C. शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में।

D. यूरोपीय संघ के संदर्भ में।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत-जर्मनी द्विपक्षीय संबंधों में अगले दशक में नई प्रौद्योगिकियाँ, स्वास्थ्य और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग और साझेदारियों के लिए किन क्षेत्रों की अत्यंत आवश्यकता होगी और इनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

सर्वोच्च न्यायालय : खराब चिकित्सीय परिणामों के लिए डॉक्टरों को लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता

खबरों में क्यों ?

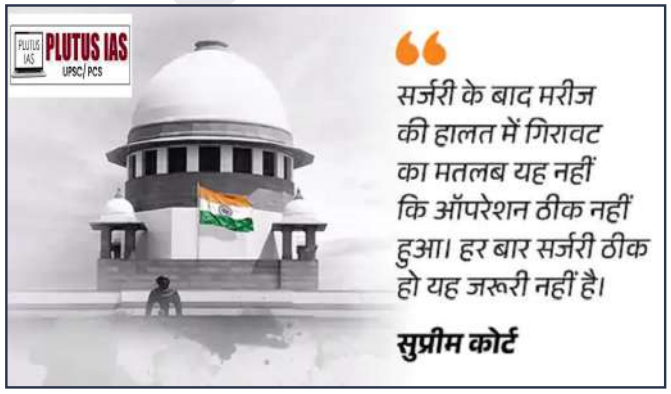

- हाल ही में, 25 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया कि चिकित्सा पेशेवरों को केवल असफल उपचार परिणामों के कारण चिकित्सकीय लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय नीरज सूद और अन्य बनाम जसविंदर सिंह (नाबालिग) और अन्य के मामले में आया, जिसमें न्यायमूर्ति पामिदीघंतम श्री नरसिम्हा और पंकज मित्तल की बेंच ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के फैसले को पलट दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिकित्सा पेशेवरों को उनके कार्यों के परिणामस्वरूप लापरवाही का दोषी ठहराने से पहले यह देखना आवश्यक है कि क्या उपचार प्रक्रिया में कोई वास्तविक त्रुटि या लापरवाही हुई है, या यदि परिणाम केवल अप्रत्याशित या असफल थे, तो उन्हें इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय भारत में चिकित्सा पेशेवरों के अधिकारों की रक्षा करता है और चिकित्सा कार्य में उचित मानकों का पालन करने की आवश्यकता को भी स्पष्ट करता है।

मामले की पृष्ठभूमि :

- इस मामले में एक डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल लापरवाही का आरोप था, जो 1996 में एक नाबालिग के ऐोसिस सर्जरी (पलक के झुकाव को सुधारने के लिए) के दौरान कथित तौर पर लापरवाही बरते थे।

- बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि इस सर्जरी के कारण बच्चे की आंख की स्थिति और भी बिगड़ गई, और इसके परिणामस्वरूप उसे चिकित्सा खर्च, मानसिक तनाव और भविष्य में होने वाली संभावित आमदनी के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए।

- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने मामले की सुनवाई के बाद डॉक्टर के खिलाफ निर्णय दिया और उन्हें मेडिकल लापरवाही का दोषी ठहराया था।

चिकित्सकीय लापरवाही से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और कानूनी परीक्षण :

1. **बोलम परीक्षण (Bolam Test) :** सर्वोच्च न्यायालय ने "बोलम परीक्षण" को यह निर्धारित करने का मानक माना है कि चिकित्सक ने लापरवाही की है या नहीं। इस परीक्षण के अनुसार, यदि चिकित्सक ने चिकित्सा के एक जिम्मेदार हिस्से द्वारा स्वीकृत विधियों का पालन किया है, तो उसे लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही वह अन्य विशेषज्ञ या भिन्न तरीके से कार्य करें।

2. **सबूत का बोझ (Burden of Proof) :** लापरवाही का आरोप साबित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता (रोगी) की होती है। यदि वह यह साबित नहीं कर पाता कि चिकित्सक के कार्य चिकित्सा मानकों से भिन्न थे, तो चिकित्सक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

3. **रेस इप्सा लोक्विटर (Res Ipsa Loquitur) :** "रेस इप्सा लोक्विटर" एक लैटिन वाक्य है, जिसका अर्थ है "बात खुद बोलती है"। यह सिद्धांत उन मामलों में लागू होता है, जहां लापरवाही इतनी स्पष्ट हो कि अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि केवल परिणाम (जैसे रोगी की स्थिति का बिगड़ना) लापरवाही का प्रमाण नहीं हो सकता है।

4. **चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) :** चिकित्सकीय लापरवाही तब होती है जब चिकित्सक रोगी को उचित देखभाल प्रदान करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक या मानसिक नुकसान हो सकता है, कभी-कभी मृत्यु भी। अदालत ने यह भी कहा कि चिकित्सक को केवल इस कारण से लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि रोगी ने उपचार के बाद अच्छा परिणाम नहीं दिखाया। उत्तरदायित्व तभी साबित होगा जब यह प्रमाणित हो कि चिकित्सक ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आवश्यक कौशल का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार, "रेस इप्सा लोक्विटर" सिद्धांत केवल उन मामलों में लागू होता है, जहां लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण हो और केवल परिणामों के आधार पर लापरवाही का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

भारत में चिकित्सीय उपेक्षा के आवश्यक तत्त्व :

भारत में चिकित्सीय उपेक्षा के आवश्यक तत्त्व निम्नलिखित हैं:

1. **विधिक कर्त्तव्य :** चिकित्सा से संबंधित पेशेवर व्यक्ति या चिकित्सक को रोगी की उचित देखभाल करने का कर्त्तव्य विधिक कर्त्तव्य के अंतर्गत आता है।

2. **कानूनी दायित्व का उल्लंघन :** चिकित्सक द्वारा यह कर्त्तव्य निभाने में किसी प्रकार की लापरवाही या चूक का होना आवश्यक है। कानूनी दायित्व का उल्लंघन होने पर ही उसे चिकित्सकीय लापरवाही माना जाता है।

3. **चिकित्सकीय लापरवाही के कारण रोगी को मानसिक नुकसान या हानि पहुँचना :** चिकित्सकीय लापरवाही के कारण रोगी को शारीरिक या मानसिक नुकसान हुआ हो। रोगी को हुई चोट या हानि का स्पष्ट संबंध चिकित्सक द्वारा कर्त्तव्य के उल्लंघन से होना चाहिए।

भारत में चिकित्सीय उपेक्षा से संबंधित प्रमुख मामले :

1. **बोलम बनाम फ्रिएर्न अस्पताल प्रबंधन समिति (2005) :** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि चिकित्सीय उपेक्षा तब मानी जाती है जब चिकित्सक अपेक्षित मानकों का पालन नहीं करता। हालांकि, यदि उचित सावधानी बरती जाती है तो उसे उपेक्षा नहीं मानी जा सकती है।

2. **जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2006) :** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सीय और आपराधिक उपेक्षा के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया और उपेक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया: जब चिकित्सक या अन्य कोई व्यक्ति सामान्य देखभाल या कौशल का उपयोग करने में विफल रहता है, जिससे रोगी को शारीरिक या संपत्ति संबंधित नुकसान होता है।

3. **कुसुम शर्मा बनाम बत्रा हॉस्पिटल (2010) :** सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि उपेक्षा का मतलब है कुछ ऐसा करना या न करना, जो एक विवेकशील व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा।

BNS के तहत चिकित्सीय उपेक्षा का प्रभाव :

1. **कड़े दंड का प्रावधान :** चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों में कड़ा दंड लागू करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे कृत्यों को रोकना है।

2. **चिकित्सक का कर्त्तव्य सुनिश्चित करना :** चिकित्सक का प्रमुख कर्त्तव्य रोगी की देखभाल करना और उसे अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना होता है।

3. **विधि के प्रति जागरूकता की कमी से उत्पन्न विधिक समस्याएं :** रोगी

को उपेक्षा के मामलों में न्याय प्राप्त करने के लिए अक्सर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों को साबित करने का बोझ उठाना होता है और विधि के प्रति जागरूकता की कमी होती है।

4. **विधिक कार्रवाई के डर से चिकित्सकों पर दबाव का होना :** कभी-कभी चिकित्सक विधिक कार्रवाई के डर से उचित निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, जो रोगी को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

BNS के तहत चिकित्सीय उपेक्षा से संबंधित नई विधि :

1. स्वास्थ्य देखभाल के मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से BNS के तहत चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

2. पहले, चिकित्सीय उपेक्षा की परिभाषा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304A के तहत दी जाती थी, लेकिन अब इसे BNS की धारा 106 में शामिल किया गया है।

3. BNS के नवीनतम प्रावधानों के तहत चिकित्सीय उपेक्षा के लिए सजा की अवधि को बढ़ाकर अधिकतम पांच वर्ष कर दिया गया है।

4. पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर द्वारा की गई लापरवाही या गलत कार्य के लिए विशेष दंड का प्रावधान किया गया है, जो सामान्य दंड से कम और इस मामले में अधिकतम दो वर्ष की सजा हो सकती है।

5. BNS के अनुसार, चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों में अब अनिवार्य रूप से कारावास की सजा दी जाएगी।

भारत में चिकित्सीय उपेक्षा से संबंधित नियमों में BNS की धारा 106(1) क्या है ?

1. BNS की धारा 106 के अंतर्गत उपेक्षा से संबंधित नियमों का विवरण दिया गया है।

2. इसके खंड (1) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी जल्दबाजी या उपेक्षा के कारण होती है, जो गैर-इरादतन हत्या के दायरे में नहीं आती, तो संबंधित व्यक्ति को अधिकतम पांच वर्ष तक की कारावास सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

3. यदि कोई पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर अपनी कार्यप्रणाली में लापरवाही करता है, तो उसे दो वर्ष तक की कारावास सजा और वित्तीय दंड का सामना करना पड़ेगा।

4. इस उपधारा में स्पष्ट किया गया है कि "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" वह व्यक्ति है, जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता है और जिसका नाम राष्ट्रीय या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रभाव और भविष्य की दिशा :

1. भारत में चिकित्सा पेशेवरों के लिए इस सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय चिकित्सा पेशेवरों को लापरवाही के आधार पर किए जाने वाले निराधार दावों से सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से तब जब मानक चिकित्सा प्रक्रियाओं का पालन करने के बावजूद जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।

2. सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि केवल प्रतिकूल परिणामों के आधार पर लापरवाही का आरोप नहीं लगाया जा सकता; इसके लिए स्पष्ट और ठोस प्रमाण की आवश्यकता है।

3. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से चिकित्सा पेशेवरों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे उचित देखभाल और कौशल का प्रयोग करें, लेकिन जब वे स्थापित चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, तो अप्रत्याशित परिणामों के लिए उन्हें कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

4. यह निर्णय डॉक्टरों के लिए कानूनी सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, जिससे चिकित्सा पेशेवरों को व्यावहारिक और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में संतुलित जवाबदेही का सामना करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष :

- भारत में सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ लापरवाही के आरोपों को लेकर एक नई दृष्टि प्रस्तुत की है और स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक न्यायसंगत और प्रभावी कानूनी प्रणाली के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि दोनों, मरीज और डॉक्टर, की चिंताओं को समुचित रूप से संबोधित किया जाए।

स्त्रोत – इंडियन एक्सप्रेस एवं जनसत्ता।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में चिकित्सा पेशेवरों की जिम्मेदारी और चिकित्सीय लापरवाही के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय ने किस महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया है?

1. चिकित्सा पेशेवरों की जिम्मेदारी केवल असफल उपचार परिणामों के लिए होगी।
2. चिकित्सा पेशेवरों को केवल अप्रत्याशित परिणामों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
3. चिकित्सा पेशेवरों को उनके कार्यों के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
4. चिकित्सा पेशेवरों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्य सही तरीके से किए गए हों, न कि केवल परिणामों पर ध्यान दिया जाए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपर्युक्त सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि चिकित्सा पेशेवरों को केवल असफल उपचार परिणामों के आधार पर लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चिकित्सा पेशेवरों के अधिकारों की रक्षा और उनके कार्यों में मानक अनुपालन को सुनिश्चित करने में कितना प्रभावी होगा ? भारत में इस निर्णय का चिकित्सीय लापरवाही से संबंधित कानूनी चुनौतियों और मरीजों के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना का प्रथम चरण

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिहार को भारत का एक विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत " आरक्षित रोजगार – महिलाओं का अधिकार " एवं " हर घर बिजली लगातार " निश्चय योजना का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।
- सात निश्चय योजना के चरण / पार्ट – 2 के तहत सभी सात निश्चयों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में कुल 5, 040 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना क्या है ?

विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना का प्रथम चरण (वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक)

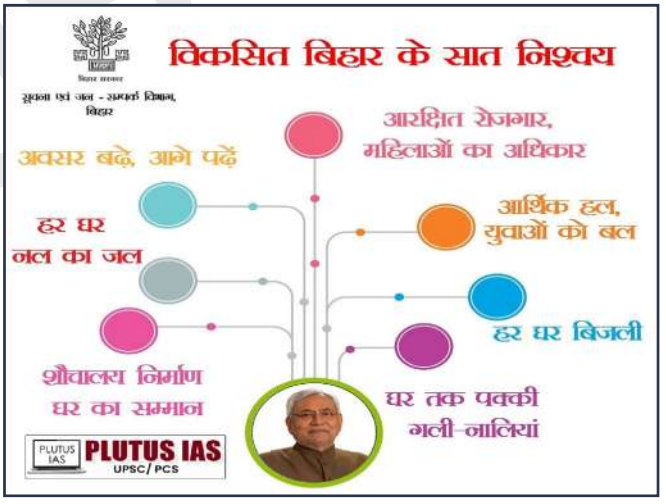

विकसित बिहार के सात निश्चय योजना के प्रथम चरण की प्रमुख योजनाएँ :

1. **अवसर बढ़े – आगे पढ़ें।**
2. **आरक्षित रोजगार – महिलाओं का अधिकार।**
3. **हर घर – नल का जल।**
4. **शौचालय निर्माण – घर का सम्मान।**
5. **आर्थिक हल – युवाओं को बल।**

6. हर घर बिजली लगातार।

7. घर तक पक्की गली – नालियाँ।

- विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना के प्रथम चरण को पूरा करने की अवधि वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक थी।
- सात निश्चय योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत **" आरक्षित रोजगार – महिलाओं का अधिकार "** एवं **" हर घर बिजली लगातार "** निश्चय योजना का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।
- **" हर घर नल का जल "** निश्चय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में 1295 करोड़ रुपए को आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।
- **" अवसर बढ़े – आगे बढ़ें "** निश्चय योजना के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में कॉलेजों/ संस्थानों का कार्य निर्माणाधीन है।
- **" घर तक पक्की गली नालियां "** निश्चय के तहत वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- **" शौचालय निर्माण – घर का सम्मान "** निश्चय के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लक्षित सभी 115.60 लाख घर को आच्छादित करते हुए बिहार के सभी 8,053 पंचायतों , 534 प्रखंडों , 101 अनुमंडलों तथा सभी जिला एवं शहरी क्षेत्रों के सभी 3,398 शहरी वार्डों एवं 142 नगर निकायों को **ODF (Open Defecation Free – खुले में शौच से मुक्ति)** घोषित किया जा चुका है।
- **" आर्थिक हल – युवाओं को बल "** निश्चय के तहत 3 योजना अभी भी कार्यरत है। जो निम्नलिखित है –

1. **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना :** इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में कुल 700 करोड़ रुपए का प्रावधान या आवंटित किया गया है।
2. **कुशल युवा कार्यक्रम योजना :** इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में 363 करोड़ रुपए का प्रावधान या आवंटित गया किया है।
3. **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना :** इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान या आवंटित किया गया है।

क्रमांक	निश्चय का नाम	निश्चय अंतर्गत योजना / कार्यक्रम	संबंधित विभाग	संबंधित उप-मिशन
1	निश्चय - 1 : आर्थिक हल युवाओं को बल	बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना	शिक्षा विभाग	युवा उप-मिशन
2	निश्चय - 1 : आर्थिक हल युवाओं को बल	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना	योजना एवं विकास विभाग	युवा उप-मिशन
3	निश्चय - 1 : आर्थिक हल युवाओं को बल	कुशल युवा कार्यक्रम	श्रम संसाधन विभाग	युवा उप-मिशन
4	निश्चय - 1 : आर्थिक हल युवाओं को बल	राज्य के सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा	सूचना प्रौद्यो-गिकी विभाग	युवा उप-मिशन
5	निश्चय - 1 : आर्थिक हल युवाओं को बल	बिहार स्टार्ट-अप नीति - 2017	उद्योग विभाग	उद्योग एवं व्यय-साय उप-मिशन
6	निश्चय - 2 : आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार	राज्य सरकार के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण	सामान्य प्रशा-सन विभाग	युवा उप-मिशन
7	निश्चय - 3 : हर घर बिजली	मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना	उर्जा विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
8	निश्चय - 4 : हर घर नल का जल	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना	पंचायती राज विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
9	निश्चय - 4 : हर घर नल का जल	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
10	निश्चय - 4 : हर घर नल का जल	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर - गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
11	निश्चय - 4 : हर घर नल का जल	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	नगर विकास एवं आवास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
12	निश्चय - 5 : घर तक पक्की गली-नालियाँ	ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना	ग्रामीण कार्य विभाग	आधारभूत संरचना उप मिशन
13	निश्चय - 5 : घर तक पक्की गली-नालियाँ	मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना	पंचायती राज विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
14	निश्चय - 5 : घर तक पक्की गली-नालियाँ	मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना	नगर विकास एवं आवास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
15	निश्चय - 6 : शौचालय निर्माण, घर का सम्मान	लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान	ग्रामीण विकास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
16	निश्चय - 6 : शौचालय निर्माण, घर का सम्मान	शौचालय निर्माण,घर का सम्मान निश्चय योजना (शहरी क्षेत्र)	नगर विकास एवं आवास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
17	निश्चय - 7 : अवसर बढ़े, आगे पढ़ें	प्रत्येक जिला में जी०एन०एम० संस्थान की स्थापना	स्वास्थ्य विभाग	मानव विकास उप मिशन
18	निश्चय - 7 : अवसर बढ़े, आगे पढ़ें	प्रत्येक जिला में पारा-मेडिकल संस्थान की स्थापना	स्वास्थ्य विभाग	मानव विकास उप मिशन
19	निश्चय - 7 : अवसर बढ़े, आगे पढ़ें	सभी जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	युवा उप-मिशन
20	निश्चय - 7 : अवसर बढ़े, आगे पढ़ें	सभी जिलों में महिला औद्यो-गिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	श्रम संसाधन विभाग	युवा उप-मिशन
21	निश्चय - 7 : अवसर बढ़े, आगे पढ़ें	सभी जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना	शिक्षा विभाग	युवा उप-मिशन
22	निश्चय - 7 : अवसर बढ़े, आगे पढ़ें	सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना	स्वास्थ्य विभाग	मानव विकास उप मिशन
23	निश्चय - 7 : अवसर बढ़े, आगे पढ़ें	प्रत्येक अनुमंडल में ए०ए-न०एम० संस्थान की स्थापना	स्वास्थ्य विभाग	मानव विकास उप मिशन

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

24	निश्चय - 7 : अवसर बढ़े, आगे पढ़े	प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	श्रम संसाधन विभाग	युवा उप-मिशन
25	निश्चय - 7 : अवसर बढ़े, आगे पढ़े	राज्य में पांच और नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना	स्वास्थ्य विभाग	मानव विकास उप मिशन

स्त्रोत – बिहार विकास मिशन, बिहार सरकार का आधिकारिक वेबसाईट।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विकसित बिहार के लिए साथ निश्चय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए।

आर्थिक हल – युवाओं को बल योजना।

अवसर बढ़े – आगे पढ़ें योजना।

शौचालय निर्माण – घर का सम्मान योजना।

आरक्षित रोजगार – महिलाओं को अधिकार योजना।

उपर्युक्त योजनाओं में से कौन सी योजना सात निश्चय योजना के प्रथम चरण का हिस्सा है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. बिहार सरकार की सात निश्चय योजना के तहत आरक्षित रोजगार – महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार जैसी प्रमुख योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति पर चर्चा करते हुए इन योजनाओं का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों और राज्य के विकास में इनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? इन योजनाओं की सफलता और चुनौतियों पर भी अपने विचार प्रस्तुत करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

सात निश्चय योजना द्वितीय चरण / पार्ट – 2

चर्चा में क्यों ?

पहल ,राज्य सरकार ने न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखी

सात निश्चय पार्ट 2 से खुलेगा राज्य के विकास का रास्ता

1 युवा शक्ति बिहार की प्रगति
2 सशक्त महिला, सक्षम महिला
3 हर खेत तक पानी
4 स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव
5 स्वच्छ शहर-विकसित शहर
6 कनेक्टिविटी होगी और आसान
7 सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा

PLUTUS IAS UPSC/PCS

- हाल ही में बिहार को भारत का एक विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना के चरण / पार्ट – 2 के तहत सभी सात निश्चयों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में कुल 5, 040 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
- सात निश्चय योजना के द्वितीय चरण या पार्ट – 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में कुल 5,040 करोड़ रुपए को आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।

सात निश्चय योजना द्वितीय चरण / पार्ट – 2 के तहत प्रमुख योजनाएँ :

1. **युवा शक्ति – बिहार की प्रगति**
2. **सशक्त महिला – सक्षम महिला**
3. **हर खेत तक सिंचाई का पानी**

4. **स्वच्छ गाँव – समृद्ध गाँव**
5. **स्वच्छ शहर -विकसित शहर**
6. **सुलभ संपर्कता/ कनेक्टिविटी होगी और आसान**
7. **सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा**

निश्चय – 01 : युवा शक्ति – बिहार की प्रगति

- बिहार राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) एवं प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक आईटीआई और पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना शामिल है।
- इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल और व्यवहारिक ज्ञान कौशल पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

राज्य के उद्योग विभाग द्वारा उद्यमिता विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं :

- **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना।**
- **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ जनजाति उद्यमी योजना।**
- **मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना।**
- **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना।**

निश्चय – 02 : सशक्त महिला – सक्षम महिला

- **मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (उद्योग विभाग)** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में 250 करोड़ रुपए को आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।
- इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की योजना है, जिसमें महिलाओं में उद्यमिता कौशल को बढ़ाने के लिए उनके उद्योग से संबंधित परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- उच्चत्तर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा **इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपए की दर** से और **स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण महिलाओं को 50,000 रुपए की दर** से प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है।

निश्चय – 03 : हर खेत तक सिंचाई का पानी

- विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना के द्वितीय चरण के तहत निश्चय 3 **" हर खेत तक सिंचाई का पानी "** योजना को सफल बनाने के लिए वित्त वर्ष 2024 – 25 में बिहार में कुल तीन विभागों को इस कार्य के सफल निष्पादन के लिए लगाया गया है –

- जल संसाधन विभाग।
- लघु जल संसाधन विभाग।
- कृषि विभाग।

- इस महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय पार्ट-2 में नीतीश कुमार ने तीसरा स्थान खेती और सिंचाई को दिया गया है। इसके तहत वादा किया गया है कि अगले पांच सालों में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

निश्चय – 04 : स्वच्छ गाँव – समृद्ध गाँव

- विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना के " स्वच्छ गाँव – समृद्ध गाँव " योजना के तहत पंचायती राज विभाग और उर्जा विभाग द्वारा बिहार के सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में 276 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में " लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान " योजना के तहत द्वितीय चरण के योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत बिहार राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास की योजना शामिल है।

निश्चय – 05 : स्वच्छ शहर – विकसित शहर

- इस योजना के तहत **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन** के लिए वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- बिहार के **नगर विकास एवं आवास विभाग** द्वारा इस योजना के तहत बिहार के सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष – 2024 – 25 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत वृद्धों के लिए आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिले आवास का निर्माण शामिल है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निश्चय – 06 : सुलभ संपर्कता

- विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना के **" ग्रामीण पथों की सुलभ संपर्कता योजना "** के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित है।
- इस योजना के तहत इन पथों की कुल लंबाई 12,250. 32 किलोमीटर है।
- इसके तहत लोगों की सुविधा के लिए गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने, बाइपास रोड और फ्लाईओवर निर्माण की योजना शामिल है।

निश्चय – 07 : सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा

- विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत **" सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा "** योजना के तहत बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 243 विधान सभा क्षेत्रों में **एक – एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , 05 (पांच) स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र** का निर्माण कराया गया है।
- इसके तहत प्रत्येक गाँव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था तैयार करने की योजना है। इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल एप की सहायता से डोर स्टेप सेवा का वादा किया गया है। इसके अलावा टेलीमेडिसीन के द्वारा पीएचसी, सीएचसी के साथ ही अनुमंडल और जिला अस्पतालों को जोड़ने की योजना भी शामिल है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य में वर्तमान में मौजूद अस्पतालों की सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने और उसका विस्तार करने की योजना शामिल है।
- **बाल हृदय योजना :** वर्ष 2021 में आरंभ की गई इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 2024 तक कुल 1134 बच्चों का सफलतापूर्वक ईलाज कराया जा चुका है।

क्रमांक	निश्चय का नाम	निश्चय अंतर्गत योजना/कार्यक्रम	संबंधित विभाग	संबंधित उप-मिशन
1	निश्चय - 1 युवा शक्ति-बिहार की प्रगति	राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवता बढ़ाने की योजना।	श्रम संसाधन विभाग	युवा उप-मिशन
2	निश्चय - 1 युवा शक्ति-बिहार की प्रगति	राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवता बढ़ाने की योजना	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	युवा उप-मिशन
3	निश्चय - 1 युवा शक्ति-बिहार की प्रगति	हर जिले में मेगा-स्किल सेन्टर (मार्गदर्शन, नयी स्किल में प्रषिक्षण)	श्रम संसाधन विभाग	युवा उप-मिशन
4	निश्चय - 1 युवा शक्ति-बिहार की प्रगति	टूल रूम (हर प्रमण्डल में)	श्रम संसाधन विभाग	युवा उप-मिशन
5	निश्चय - 1 युवा शक्ति-बिहार की प्रगति	स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग (आई0टी0आई0/ पॉलिटे(क्निक सहित)	मंत्रिमंडल सचि-वालय विभाग	युवा उप-मिशन
6	निश्चय - 1 युवा शक्ति-बिहार की प्रगति	केन्द्र सरकार की योजना के तहत् तकनीकी शिक्षा हिन्दी में उपलब्ध कराने का प्रयास करना।	श्रम संसाधन विभाग / विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	युवा उप-मिशन
7	निश्चय - 1 युवा शक्ति-बिहार की प्रगति	चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना।	स्वास्थ्य विभाग	मानव विकास उप मिशन
8	निश्चय - 1 युवा शक्ति-बिहार की प्रगति	अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना।	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	युवा उप-मिशन
9	निश्चय - 1 युवा शक्ति-बिहार की प्रगति	खेल विश्वविद्यालय की स्थापना।	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	युवा उप-मिशन
10	निश्चय - 1 युवा शक्ति-बिहार की प्रगति	उद्यमिता विकास हेतु अनुदान / प्रोत्साहन।	उद्योग विभाग	उद्योग एवं व्ययसाय उप-मिशन
11	निश्चय - 1 युवा शक्ति-बिहार की प्रगति	सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नये अवसर का सृजन ।	(i) सरकारी क्षेत्र में रोजगार सृजन - सामान्य प्रशासन विभाग (ii) गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार सृजन - श्रम संसाधन विभाग	युवा उप-मिशन
12	निश्चय - 2 सशक्त महिला, सक्षम महिला	महिला उद्यमिता हेतु विषेश योजना।	उद्योग विभाग	उद्योग एवं व्ययसाय उप-मिशन
13	निश्चय - 2 सशक्त महिला, सक्षम महिला	उच्चतर सिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन।	शिक्षा विभाग	मानव विकास उप मिशन
14	निश्चय - 2 सशक्त महिला, सक्षम महिला	क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी।	सामान्य प्रशासन विभाग (नोडल विभाग) एवं अन्य विभागों के माध्यम से	युवा उप-मिशन
15	निश्चय - 3 हर खेत तक सिंचाई का पानी	हर खेत तक सिंचाई का पानी ।	जल संसाधन विभाग (नोडल विभाग) / लघु जल संसाधन / राजस्व एवं भूमि सुधार / कृषि / ऊर्जा / ग्रामीण विकास / पंचायती राज विभाग	कृषि उप-मिशन
16	निश्चय - 4 स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव	सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट।	पंचायती राज विभाग / उर्जा विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
17	निश्चय - 4 स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन।	W	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन

18	निश्चय - 4 स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव	पूर्व की निश्चय योजना (हर घर नल का जल) का अनुरक्षण।	पंचायती राज विभाग / लोक स्वास्थ्य अभि-यंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
19	निश्चय - 4 स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव	पूर्व की निश्चय योजना (घर तक पक्की गली - नालियाँ) का अनुरक्षण।	पंचायती राज विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
20	निश्चय - 4 स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव	पूर्व की निश्चय योजना (हर घर शौचालय) का अनुरक्षण।	ग्रामीण विकास विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
21	निश्चय - 4 स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव	पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास।	पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास	कृषि उप-मिशन
22	निश्चय - 5 स्वच्छ शहर-विकसित शहर	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन।	नगर विकास एवं आवास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
23	निश्चय - 5 स्वच्छ शहर-विकसित शहर	वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल।	नगर विकास एवं आवास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
24	निश्चय - 5 स्वच्छ शहर-विकसित शहर	शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन।	नगर विकास एवं आवास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
25	निश्चय - 5 स्वच्छ शहर-विकसित शहर	सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
26	निश्चय - 5 स्वच्छ शहर-विकसित शहर	सभी शहरों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास।	नगर विकास एवं आवास विभाग	पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन
27	निश्चय - 6 सुलभ सम्प-र्कता	ग्रामीण पथों की सम्पर्कता।	ग्रामीण कार्य विभाग	आधारभूत संरचना उप मिशन
28	निश्चय - 6 सुलभ सम्प-र्कता	शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण।	पथ निर्माण विभाग	आधारभूत संरचना उप मिशन
29	निश्चय - 7 सबके लिए अतिरिक्त स्वा-स्थ्य सुविधा	I. बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ:- (i) कॉल सेन्टर एवं मोबाईल एप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था। • पशु अस्पताल की स्थापना। • पशु अस्पतालों के माध्यम से दी जा रही चिकित्सा सुविधा। • टेलिमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श की सुविधा। • मोबाईल यूनिट्स के माध्यम से घर तक पशु चिकित्सा की सुविधा।	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	कृषि उप-मिशन
30	निश्चय - 7 सबके लिए अतिरिक्त स्वा-स्थ्य सुविधा	देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु पशु विज्ञान वि-श्वविद्यालय के अन्तर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना।	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	कृषि उप-मिशन
31	निश्चय - 7 सबके लिए अतिरिक्त स्वा-स्थ्य सुविधा	II. गाँव-गाँव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता:- (i) स्वास्थ्य उप केन्द्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान किया जाना तथा इन्हें टेलीमेडिसीन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सा-मुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़कर लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना एवं अन्य संबंधित कार्य । (ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जाना । (iii) हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था तथा इसके लिए 'बाल हृदय योजना' लागू करना ।	स्वास्थ्य विभाग	मानव विकास उप मिशन
32	7 निश्चय - 2 के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम	कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होने के पश्चात् कोरोना से बचाव हेतु पूरे राज्य में इसका निःशुल्क टीकाकरण ।	स्वास्थ्य विभाग	मानव विकास उप मिशन
33	7 निश्चय - 2 के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम	विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउन्सलिंग सेन्टर की स्थापना ।	शिक्षा विभाग	युवा उप-मिशन
34	7 निश्चय - 2 के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम	दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर दलहन की खरीद की व्यवस्था करने का प्रयास करना।	खाद्य एवं उप-भोक्ता संरक्षण विभाग	कृषि उप-मिशन
35	7 निश्चय - 2 के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम	राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटावेस संधारित करना।	श्रम संसाधन विभाग	युवा उप-मिशन

स्त्रोत – बिहार विकास मिशन, बिहार सरकार का आधिकारिक वेबसाईट।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विकसित बिहार के लिए सात निश्चय योजना के द्वितीय चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में कुल 700 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है।
2. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ गाँव – समृद्ध गाँव योजना पहल को शुरू किया गया है।
3. बिहार में उच्चत्तर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण महिलाओं को 50,000 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है।
4. सात निश्चय योजना के अंतर्गत आरक्षित रोजगार – महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली लगातार योजना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. " बिहार सरकार की "सात निश्चय योजना द्वितीय चरण" के तहत किए गए प्रमुख योजनाओं का उद्देश्य राज्य में सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। " इस कथन के संदर्भ में सात निश्चय योजना के सफल क्रियान्वयन से जुड़े प्रमुख चुनौतियों और उसके समाधान के उपायों पर विस्तृत चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

एशिया – प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अपनी ' **एशिया – प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024** ' जारी की है।
- एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी इस रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो एशिया-प्रशांत के इस क्षेत्र में जिन देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हैं उन्हें अभूतपूर्व और अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है।
- इस रिपोर्ट में क्षेत्रीय आर्थिक संकट की गंभीरता को रेखांकित करते हुए भारत की जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उन नीतियों का भी उल्लेख किया गया है, जीवाश्म ईंधन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करने के प्रयासों को प्राथमिकता दे रहा है और इसके साथ – ही – साथ स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को और अधिक गति से तेज करने का प्रयास कर रहा है।

एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 का मुख्य निष्कर्ष :

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला आर्थिक प्रभाव :

- **अर्थव्यवस्था और जीडीपी में संभावित रूप से गिरावट का होना :** अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी गति से बढ़ता रहा, तो एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 2070 तक 17% की गिरावट आ सकती है, और 2100 तक यह गिरावट 41% तक पहुँच सकती है।
- **भारत के जीडीपी पर पड़ने वाला प्रभाव :** भारत में 2070 तक जीडीपी में 24.7% तक की कमी आने का अनुमान है। इसके अलावा, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी देशों को भी गंभीर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक नुकसान का प्रमुख कारण :

1. समुद्र स्तर में वृद्धि : समुद्र स्तर के बढ़ने से 2070 तक करीब 300 मिलियन लोग तटीय बाढ़ के खतरे से प्रभावित हो सकते हैं। इससे होने वाली आर्थिक हानि सालाना 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है।
2. श्रम उत्पादकता में कमी आना : श्रम उत्पादकता में गिरावट के कारण एशिया-प्रशांत क्षेत्र की जीडीपी में 4.9% और भारत की जीडीपी में 11.6% की कमी हो सकती है।
3. शीतलन की मांग : जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न वैश्विक भू – तापन और बढ़ते तापमान के चलते क्षेत्रीय जीडीपी में 3.3%

की कमी हो सकती है, जबकि भारत में यह गिरावट 5.1% तक पहुँचने का अनुमान है।

4. प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होना और उत्पादकता पर गंभीर असर पड़ना : इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक संकट गहरा सकता है, जिससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होगा, बल्कि मानव संसाधन और उत्पादकता पर भी गंभीर असर पड़ेगा।

जलवायु परिवर्तन का पारिस्थितिकी तंत्र और वनों पर पड़ने वाला प्रभाव :

- जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय संकट बढ़ते जा रहे हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र और वन क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इस परिवर्तन के कारण आने वाली प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे बाढ़, तूफान, भूस्खलन, और अन्य मौसमीय घटनाएँ, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ रही हैं।

1. **एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वार्षिक नदी – बाढ़ से होने वाला नुकसान :** वर्ष 2070 तक, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वार्षिक नदी बाढ़ से लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। विशेष रूप से भारत में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में इस नुकसान का आंकड़ा 400 और 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है।
2. **प्राकृतिक आपदाओं के तहत जीवन और संपत्ति का गंभीर नुकसान होना :** रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते तापमान के कारण तूफान, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि होगी, खासकर भारत-चीन सीमा जैसे क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएँ 30-70% तक बढ़ सकती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति को गंभीर नुकसान होगा।
3. **उष्णकटिबंधीय तूफान और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का होना :** उष्णकटिबंधीय तूफान और अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ, खासकर पहाड़ी इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। इस प्रकार की घटनाएँ पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं और जीवन-यापन के लिए आदर्श परिस्थितियों को अस्थिर कर देती हैं।
4. **वन उत्पादकता पर पड़ने वाला प्रभाव :** जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च उत्सर्जन के कारण वर्ष 2070 तक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वन उत्पादकता में 10-30% की गिरावट आने का अनुमान है। भारत सहित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में इस गिरावट का प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है, जहाँ वन क्षेत्रों की उत्पादकता में 25% से अधिक की कमी देखी जा सकती है।
5. **पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होना :** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से पारिस्थितिकी तंत्र और वन क्षेत्रों पर गंभीर असर पड़ने की संभावना है, जो ना केवल पर्यावरणीय असंतुलन पैदा करेंगे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक तंत्र पर भी भारी दबाव डालेंगे। इस संकट से निपटने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में होने वाली तबाही को कम किया जा सके और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए जाने वाला समाधानात्मक उपाय :

- जलवायु परिवर्तन से प्रभावी रूप से निपटने के लिए विभिन्न देशों और क्षेत्रों को कई निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके तहत उत्सर्जन में कमी, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों का अधिकतम उपयोग जैसे प्रमुख पहलू शामिल हैं।

1. **नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य और अंतराल :** एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र की 44 अर्थव्यवस्थाओं में से 36 देशों ने नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन केवल चार देशों ने इसे कानूनी रूप से लागू किया है। भारत ने 2070 और चीन ने 2060 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी और समयबद्ध रणनीतियों की जरूरत है।
2. **जलवायु वित्त में बड़े अंतराल को पाटने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना और उपयुक्त नीतिगत ढांचा तैयार करना :** जलवायु अनुकूलन और जोखिमों से निपटने के लिए हर साल 102 से 431 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच निवेश की आवश्यकता है। 2021-2022 के दौरान, इस दिशा में केवल 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ, जो कि आवश्यक राशि से काफी कम है। यह दर्शाता है कि जलवायु वित्त में बड़े अंतराल को पाटने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना और उपयुक्त नीतिगत ढांचा तैयार करना आवश्यक है।
3. **नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन बाजार :** रिपोर्ट यह बताती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों का विस्तार भी महत्वपूर्ण है, ताकि उत्सर्जन की कीमत तय की जा सके और उत्सर्जन घटाने के उपायों को प्रोत्साहित किया जा सके।
4. **कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए ठोस रोडमैप प्रदान करने की जरूरत :** हालाँकि अधिकांश APAC देशों ने उत्सर्जन को नेट-ज़ीरो तक पहुंचाने के लक्ष्य घोषित किए हैं, परंतु उन देशों में से कुछ ने ही इसे कानूनी ढांचे में सम्मिलित किया है। जलवायु जोखिमों को संबोधित करने के लिए, COP27 जैसी वैश्विक जलवायु रणनीतियाँ तैयार करने की अभी भी कमी है। इस संदर्भ में, केवल चार देशों के पास ही ऐसी नियतात्मक और शीर्ष-डाउन योजनाएँ हैं जो उत्सर्जन घटाने के लिए ठोस रोडमैप प्रदान करती हैं।
5. **नवीकरणीय ऊर्जा और लागत-कुशल समाधान की अत्यंत आवश्यकता :** जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जोर दिया गया है, जिससे शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रगति की जा सके। इसके साथ ही, घरेलू और वैश्विक कार्बन बाजारों के विस्तार से लागत-कुशल समाधान सामने आएंगे, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) :

- एशियाई विकास बैंक (ADB) 1966 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन में मदद करना है। यह क्षेत्रीय विकास बैंक, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सदस्यता और प्रमुख शेयरधारक :

- एशियाई विकास बैंक के कुल 69 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं। यह बैंक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सबसे अधिक वित्तीय योगदान प्राप्त करता है, और इन दोनों देशों के पास इस बैंक के सबसे बड़े शेयर हैं। भारत इस बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है।

मुख्यालय और मुख्य उद्देश्य :

- एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। यह बैंक समृद्ध, समावेशी और टिकाऊ एशिया-प्रशांत क्षेत्र की दिशा में काम कर रहा है, और इसके कार्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना है। रिपोर्ट के अनुसार, ADB की यह प्रतिबद्धता स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि क्षेत्र में लचीला और स्थिर विकास संभव हो सके।
- एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में समग्र विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने, गरीबी उन्मूलन, और सतत विकास के लिए आवश्यक उपायों को लागू करना शामिल है, जो क्षेत्रीय विकास में स्थिरता और समावेशिता सुनिश्चित करते हैं।

निष्कर्ष :

- एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) की एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के गंभीर आर्थिक प्रभावों का संकेत देती है। बढ़ते समुद्र स्तर और चरम मौसम घटनाओं के कारण लाखों लोग जोखिम में हैं, जिससे तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता है। नीतियों को मजबूत करना, अनुकूलन के लिए वित्तपोषण बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना इन चुनौतियों को कम करने के लिए आवश्यक कदम हैं। एडीबी के अध्यक्ष मासात्सुगु असकावा के अनुसार – **" जलवायु के प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई जरूरी है, अन्यथा देर हो सकती है। "** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें नीति, वित्तीय निवेश और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। जलवायु वित्त में अंतराल को पाटने और उत्सर्जन घटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि हम 2050 तक वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को हासिल कर सकें।

स्त्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

1. **Q.1. एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशिया – प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से कौन सी चेतावनी दी है ?**

2. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।
3. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को अधिक सहायता दी जानी चाहिए।
4. यदि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम नहीं उठाए गए, तो इस क्षेत्र के कमजोर अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा।
5. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में केवल कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का असर होगा।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. एशिया – प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में भारत के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों की प्रभावशीलता और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतियों पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए इस दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों, चुनौतियों और संभावित समाधान पर भी विचार करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारतीय उच्च शिक्षा में समावेशी विकास के एक मॉडल के रूप में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक बड़ी नई पहल, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है।

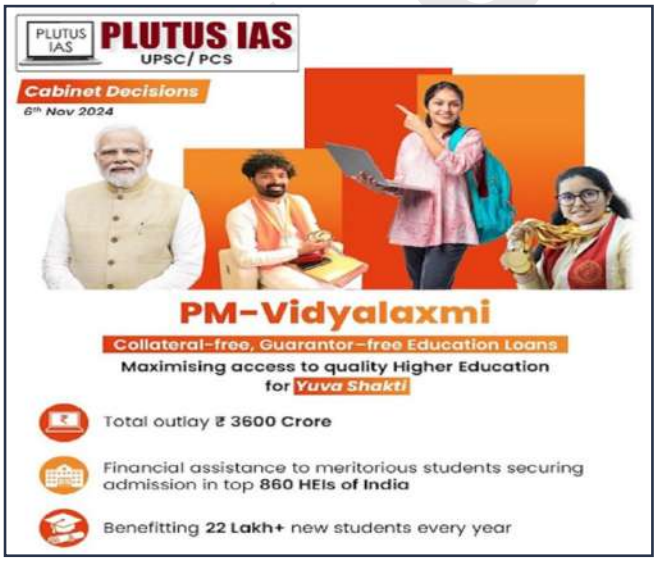

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएं :

- **एनईपी 2020 के साथ तालमेल:** के अनुसार लॉन्च किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अधिक पहुंच को बढ़ावा देना।
- **मिशन मोड तंत्र:** में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की सुविधा के लिए एक केंद्रित प्रणाली शीर्ष 860 उच्च शिक्षण संस्थान (क्यूएचईआई), अधिक लाभ हो रहा है सालाना 22 लाख छात्र.
- **विशेष ऋण उत्पाद :** पात्र छात्रों के लिए संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त ऋण प्रदान करता है। सरल, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ।
- **क्रेडिट गारंटी :** 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी, बैंकों को ऋण उपलब्धता का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **ब्याज सब्सिडी:**

3% ब्याज सब्सिडी ₹8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए ₹10 लाख तक के ऋण पर।

का पूरक है पूर्ण ब्याज छूट पीएम-यूएसपी योजना के तहत ₹4.5 लाख तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए।

- **उच्च शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि:**

आगे बढ़ने के लिए पिछली पहलों पर आधारित है गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को अधिकतम करना भारत के युवाओं के लिए।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का महत्व :

1. **मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता:** आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, योग्यता-आधारित शैक्षिक पहुंच को बढ़ावा देता है।
2. **महिला छात्रों का सशक्तिकरण:** महिला छात्रों को लक्षित सहायता प्रदान करता है, उच्च शिक्षा में महिलाओं की उच्च भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और अध्ययन के उन्नत क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है।
3. **रोजगार सृजन:** उच्च शिक्षा का समर्थन करके, यह योजना एक कुशल और शिक्षित कार्यबल तैयार करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान करने में सहायता करती है।
4. **जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना:** युवा शिक्षा में निवेश करने से भारत की मानव पूंजी मजबूत होती है, जिससे देश आर्थिक विकास को चलाने के लिए अपनी बड़ी, युवा आबादी का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम होता है।
5. **शिक्षा के माध्यम से गरीबी में कमी:** वंचित छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करता है, उन्हें ऐसे कौशल से लैस करता है जो रोजगार क्षमता को बढ़ाता है और उच्च आय की ओर ले जाता है, जो बदले में गरीबी के चक्र को तोड़ सकता है।

भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों (HEI) के लिए प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **अपर्याप्त फंडिंग:** भारत में उच्च शिक्षा पर सरकारी खर्च लगभग है सकल घरेलू उत्पाद का 2.7%, की तुलना में बहुत कम है कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित 6%. यह सीमित फंडिंग HEI के भीतर बुनियादी ढांचे, संकाय और अनुसंधान के अवसरों को प्रभावित करती है।
2. **असमान पहुंच:** उच्च शिक्षा के विस्तार के प्रयासों के बावजूद, असमानताएँ बनी हुई हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) उच्च शिक्षा में आसपास खड़ा है 27.1% (एआईएसएचई 2019-20), ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की पहुंच शहरी या विशेषाधिकार प्राप्त समूहों की तुलना में काफी कम है।
3. **प्रत्यायन बाधाएँ:** से कम HEI का 20% वर्तमान में द्वारा मान्यता प्राप्त हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) इन निकायों में सीमित क्षमता और संसाधन बाधाओं के कारण, कई संस्थान गुणवत्ता आश्वासन ढांचे से बाहर हो गए हैं।
4. **ख़राब सीखने और सिखाने के परिणाम**: अध्ययन यह दर्शाते हैं 50% से अधिक स्नातक छात्र गणित और विज्ञान जैसे विषयों में बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव है। यह कौशल अंतर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और अपेक्षित सीखने के परिणामों को पूरा करने के लिए छात्रों की क्षमताओं को प्रभावित करता है।
5. **अनुसंधान और नवाचार का निम्न स्तर:** भारत रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (2023) में 40वां स्थान और केवल योगदान देता है वैश्विक शोध प्रकाशनों का 2.7%. इसके अतिरिक्त, केवल 6,000 पेटेंट 2021 में भारतीय निवासियों को अधिक की तुलना में प्रदान किया गया चीन में 300,000, अनुसंधान निधि और बुनियादी ढांचे में चुनौतियों को दर्शाता है।
6. **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का अभाव:** भारतीय संस्थान अंतरराष्ट्रीय मानक हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। 2023 तक, केवल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 200 में 2 भारतीय विश्वविद्यालय हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में अंतर को उजागर करना।
7. **अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने में चुनौतियाँ:** भारत रैंक उच्च शिक्षा के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में 26वां स्थान. जबकि भारत चारों ओर भेजता है प्रतिवर्ष 750,000 छात्र विदेश जाते हैं, यह केवल आकर्षित करता है 50,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र, इसकी वैश्विक शिक्षा अपील को सीमित करना।
8. **उच्च शिक्षा और कौशल विकास के बीच बेमेल:** केवल कौशल प्रशिक्षण का 4% जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है 58% का योगदान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा किया जाता है. MSDE के साथ एकीकरण की कमी का मतलब है कि HEI में कौशल विकास को कम प्राथमिकता दी गई है, जिससे शिक्षा और नौकरी-बाज़ार की ज़रूरतों के बीच एक अंतर पैदा हो गया है।

भारत में एक मजबूत उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आगे की राह :

1. **विनियमन और प्रत्यायन को सुव्यवस्थित करना:**
   - अधिक कुशल प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए ओवरलैपिंग नियमों को समेकित और हटाकर नियामक परिदृश्य को सरल बनाएं।
   - संस्थानों में गुणवत्ता आश्वासन में सुधार के लिए विविध शैक्षिक मानकों को स्वीकार करते हुए मान्यता नेटवर्क का विस्तार करें।
2. **उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना:**
   - छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करके कमजोर समुदायों के लिए पहुंच बढ़ाएँ।
   - उपयोग बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ओपन पाठ्यक्रम (एमओओसी) और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों तक पहुँचना, शैक्षिक अवसरों का विस्तार करना।
3. **उच्च शिक्षा वित्तपोषण को मजबूत करना:**
   - उद्योग और बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए परिष्कृत अनुसंधान उपकरण खोलकर नई राजस्व धाराएं शुरू करें, जिससे उपयोग में सुधार होगा और आय उत्पन्न होगी।
   - संकाय रिक्तियों को भरने के लिए एकमुश्त वित्तीय अनुदान और

परिसर के विकास और आधुनिकीकरण के लिए बुनियादी ढांचा अनुदान प्रदान करें।

4. **शिक्षण विधियों और मूल्यांकन मानकों में सुधार:**

- एक विकसित करें राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा और ए सीखने के परिणाम-आधारित पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतरता सुनिश्चित करना।
- उभरती शैक्षिक और उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित पाठ्यक्रम समीक्षा और अद्यतन के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करें।

5. **अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना:**

- सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय एचई-आई के साथ साझेदारी करके मजबूत अनुसंधान नेटवर्क बनाएं।
- अनुसंधान, प्रतिभा विकास और अनुसंधान बुनियादी ढांचे में उत्कृष्टता का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान निधि निकाय की स्थापना करें।

6. **कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना:**

- व्यावसायिक शिक्षा को कॉलेज प्रणाली में एकीकृत करें, जिससे क्रेडिट को व्यावसायिक और शैक्षणिक दोनों कार्यक्रमों पर लागू किया जा सके, जिससे कौशल विकास को बढ़ावा मिले।
- उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप क्रेडिट-आधारित कौशल पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अपडेट करें।

7. **अधिक पहुंच और वैयक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:**

- पदोन्नति करना एडुटेक रिसर्च शिक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए प्रमुख संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और इन-क्यूबेटर सुविधाएं स्थापित करके।
- एआई-संचालित प्लेटफ़ॉर्म विकसित करें जो छात्र सहभागिता और परिणामों को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत शिक्षण पथ, अनुकूली मूल्यांकन और वास्तविक समय प्रगति ट्रैकिंग प्रदान करते हैं।

8. **उच्च शिक्षा** का अंतर्राष्ट्रीयकरण:

- ज्ञान साझा करने और संयुक्त अनुसंधान पहल के लिए वैश्विक HEI के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करें।
- भारतीय छात्रों और संकाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन को व्यापक बनाने के लिए सीमा पार वितरण और कार्यक्रम गतिशीलता को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष :

- निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत सरकार उच्च शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों को संबोधित करके, भारत एक अधिक समावेशी, अभिनव और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है जो अपने युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करता है और देश के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप है।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है।
2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र छात्र / छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
3. यह योजना 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. तीनों

D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. " भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसमें बड़े सुधार की आवश्यकता है। " क्या आपको लगता है कि विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश से देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS UPSC/ PCS